'अमृतकाल' में भारतीय एमएसएमई के लिए अवसर

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का देश के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2023 और उसके बाद, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा अमृतकाल भी कहा जाता है, भारतीय एमएसएमई को कई अवसर मिलने की संभावना है। एक सबसे बड़ा अवसर, व्यवसायों के डिजिटल परिवर्तन में निहित है। महामारी के बाद से डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी आई है, और एमएसएमई नये ग्राहकों तथा बाज़ारों तक पहुँचने के लिए इस प्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।

डॉ फैज अस्कारी | 'एसएमई स्ट्रीट' के संस्थापक और एसएमई स्ट्रीट फाउंडेशन के महासचिव। ईमेल: faiz@smestreet.in

अमृतकाल या कोविड-19 के बाद के युग से भारत में एमएसएमई के लिए नये अवसर आने की उम्मीद है। आर्थिक बहाली और विकास पर सरकार के ध्यान के साथ, एमएसएमई से, विकास को आगे बढ़ाने और रोज़गार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है। इसके अलावा, एमएसएमई नये बाज़ारों की खोज, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्वास्थ्य देखभाल तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करके अमृतकाल का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में सहायता करने और उन्हें डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी पहल जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान, एमएसएमई को सामान और सेवाएँ प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का सहयोग किया जा सके। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के प्रमुख विकास क्षेत्र बनने की उम्मीद है, और एमएसएमई इन क्षेत्रों

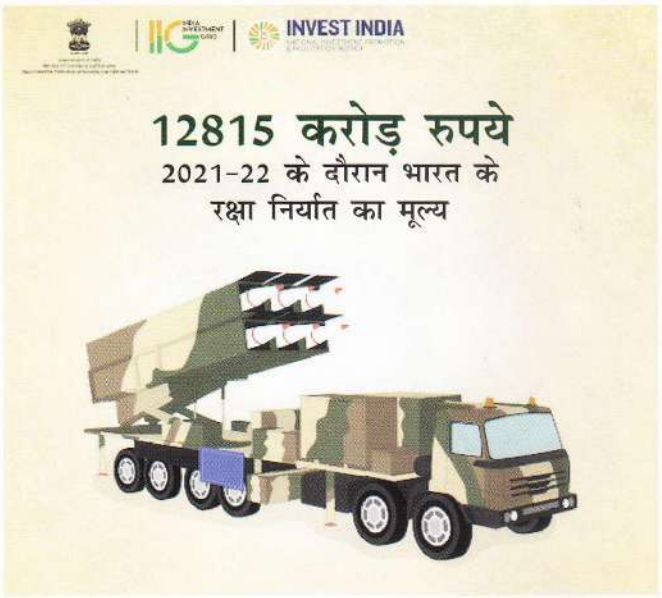

में अवसरों का पता लगा सकते हैं। कुल मिलाकर, अमृतकाल भारत में एमएसएमई के लिए अपने व्यवसायों को विकसित करने और विस्तारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलता है।

अमृतकाल में संभावना और क्षमता

उम्मीद है कि भारतीय एमएसएमई विकास को गति देकर और रोज़गार के अवसर पैदा करके अमृतकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के अमृतकाल में एमएसएमई के लिए कुछ प्रमुख अवसर हैं:

1. **डिजिटल परिवर्तन:** कोविड-19 महामारी के बाद उद्योगों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी आई है, और भारत में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस बदलाव को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही, एमएसएमई अपने कामकाज में सुधार करने, नये ग्राहकों तक पहुँचने और नये बाज़ारों का पता लगाने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं।
2. **निर्यात के अवसर:** भारत सरकार ने अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में एमएसएमई की सहायता के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। एमएसएमई नये बाज़ारों का पता लगाने और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
3. **बुनियादी ढाँचा विकास:** भारत सरकार ने देश में बुनियादी ढाँचा विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कई पहल की घोषणा की है। बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की सहायता करने के लिए एमएसएमई सामान और सेवाएँ प्रदान करके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4. **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:** कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के महत्व को उजागर किया है, और भारत में एमएसएमई, स्वास्थ्य सेवा उद्योग की सहायता के लिए सामान और सेवाएँ प्रदान करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई चिकित्सा उपकरणों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और स्वास्थ्य देखभाल आईटी समाधान जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगा सकते हैं।
5. **हरित ऊर्जा:** अक्षय ऊर्जा उद्योग को सहायता देने के लिए सामान और सेवाएँ प्रदान करके एमएसएमई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एमएसएमई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं।

एक और सम्मोहक अवसर, टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग है। पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते ध्यान के साथ, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले एमएसएमई तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में जगह बना सकते हैं। इसी तरह, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए अवसर प्रदान करते हुए भारत के तेज़ी से बढ़ते मध्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भरता' के लिए सरकार का जोर, विनिर्माण और संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। स्थानीय सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारतीय एमएसएमई को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकता है।

"सरकार ने एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में सहायता करने और उन्हें डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी पहल जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और आत्मनिर्भर भारत अभियान, एमएसएमई को सामान और सेवाएँ प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का सहयोग किया जा सके।"

अंत में, एमएसएमई बैंकों, उद्यम पूँजीपतियों और सरकारी योजनाओं जैसे विभिन्न स्रोतों से धन और सहायता की बढ़ती उपलब्धता से लाभान्वित हो सकते हैं। पूँजी और संसाधनों तक बेहतर पहुँच के साथ, एमएसएमई नवोन्मेष और विकास में निवेश कर सकते हैं, इस प्रकार उनकी पहुँच और प्रभाव का विस्तार हो सकता है।

भारतीय एमएसएमई के पास 2023 और उसके बाद के अमृतकाल में कई अवसर हैं जिनमें डिजिटल परिवर्तन, टिकाऊ उत्पाद तथा सेवाएँ, मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं, 'मेक इन इंडिया' और वित्तपोषण तथा सहायता के लिए अधिक पहुँच शामिल हैं। जो एमएसएमई इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, उनके आने वाले वर्षों में फलने-फूलने की संभावना है।

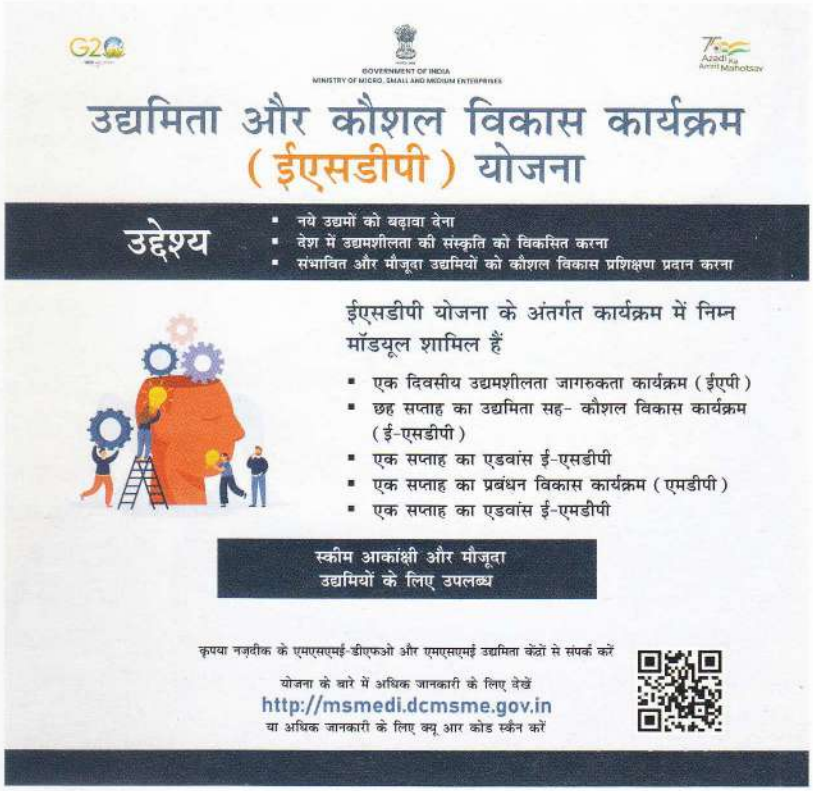

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एमएसएमई का है और यह लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है।

इसके अलावा, एमएसएमई रोज़गार के अवसर प्रदान करके और उद्योगों के विकेंद्रीकरण में मदद करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान करते हैं। वे नौकरियां पैदा करके और गरीबी को कम करके देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एमएसएमई अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक हैं। यह क्षेत्र व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करता है। अपनी दक्षता और अनुकूलता के लिए जाने जाने वाले एमएसएमई इस प्रकार बदलते बाज़ार की गतिशीलता और उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने और देश के भुगतान संतुलन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है और अन्य देशों के साथ देश के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार ने भी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को पहचाना है और इसकी वृद्धि तथा विकास में सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और बाज़ार पहुँच की योजनाएं शामिल हैं।

अंत में, एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार सृजन, नवाचार और निर्यात में योगदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक हैं। इस क्षेत्र के निरंतर विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का समर्थन महत्वपूर्ण है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की पहल

भारत सरकार देश के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए लंबे समय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार महत्वपूर्ण वित्त पोषण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, बाज़ार पहुँच और नियामक सहायता प्रदान करके एमएसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये सभी पहल एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, जो देश की आर्थिक वृद्धि और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. **वित्त पोषण सहायता:** सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता और फंडिंग सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) शामिल हैं।

2. **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** सरकार ने एमएसएमई को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और आधुनिक तथा कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करने के लिए कई पहल की हैं। ऐसी ही एक पहल है प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस), जो एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. **कौशल विकास:** सरकार ने एमएसएमई कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं और कई पहल की हैं। इनमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और स्किल इंडिया मिशन शामिल हैं जिनका उद्देश्य एमएसएमई कार्यबल को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है।
4. **बाज़ार तक पहुँच:** सरकार ने एमएसएमई को बाज़ारों तक पहुँचने और उनके उत्पादों तथा सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें शामिल हैं-राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), जो विपणन के साथ एमएसएमई की सहायता करता है, और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, जो सरकारी खरीद में एमएसई के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है।
5. **नियामक सहायता:** सरकार ने एमएसएमई के लिए नियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें उद्योग आधार पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है, जो एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाती है, और एमएसएमई सुविधा परिषद, जो एमएसएमई को विनियामक अनुपालन से संबंधित उनकी शिकायतों को हल करने के लिए मंच प्रदान करती है।

सरकार की प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** यह ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में स्टार्टअप और नये उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई):** यह योजना एमएसएमई को एक निश्चित सीमा तक जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे ऋण तक उनकी पहुँच बढ़ सके।
3. **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार पहुँच के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई समूहों के विकास को बढ़ावा देना है।
4. **प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस):** यह योजना कपड़ा और जूट क्षेत्रों में एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
5. **डिजिटल एमएसएमई योजना:** इस योजना का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण और डिजिटल मार्केटिंग के विकास के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
6. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी):** इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, विपणन सहायता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करके एमएसएमई सहित विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
7. **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी):** इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई कार्यबल को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनकी रोज़गार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
8. **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:** यह नीति सरकार की खरीद में एमएसएमई के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करती है, जिससे

उन्हें एक बड़े बाज़ार तक पहुँच मिलती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

एमएसएमई और रक्षा विनिर्माण

भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अपने व्यवसायों को विकसित करने और विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।

रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई के लिए कुछ अवसरों में शामिल हैं:

1. **ऑफ़सेट नीति:** ऑफ़सेट नीति के तहत, भारत में रक्षा अनुबंध जीतने वाली विदेशी फर्मों को भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अनुबंध मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करना होगा। यह एमएसएमई के लिए विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने और रक्षा निर्माण में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोलता है।
2. **रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी):** डीपीपी रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई की भागीदारी को खरीद में वरीयता प्रदान करके, एमएसएमई के लिए उत्पादों की कुछ श्रेणियों को अलग करके और निविदाओं में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड में छूट देकर प्रोत्साहित करती है।
3. **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स):** आईडीईएक्स पहल एमएसएमई और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को वित्त पोषण सहायता, सलाह और ऊष्मायन सुविधाएं प्रदान करके रक्षा निर्माण में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती है।

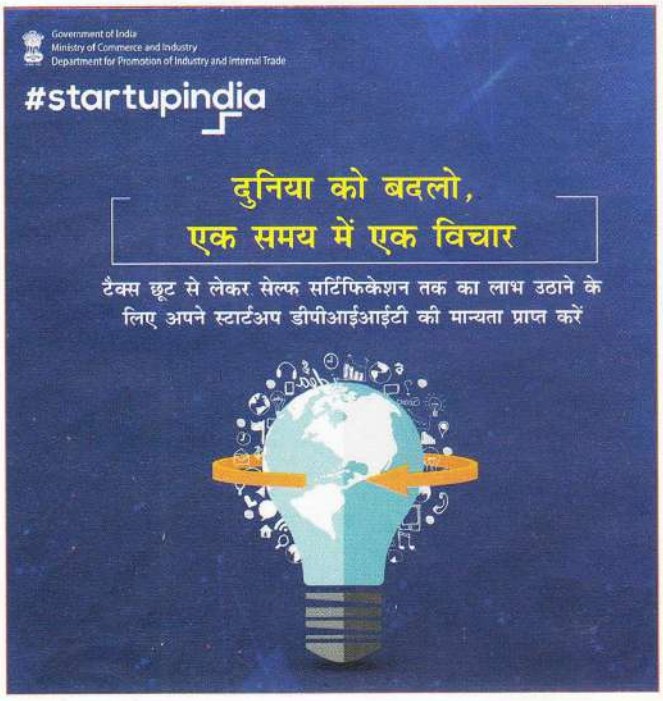

4. **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डीआईसी):** डीआईसी रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ है जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में रुचि रखने वाले एमएसएमई की सहायता और सहयोग प्रदान करता है।
5. **रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी):** भारत सरकार ने डीआईसी के रूप में देशभर में छह क्षेत्रों की पहचान की है, जिनका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण समूहों के विकास को बढ़ावा देना है। एमएसएमई अवसंरचना, टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंकेज तक पहुँचने के लिए इन क्लस्टर्स का लाभ उठा सकते हैं।

भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र एमएसएमई को अपने व्यवसायों के विकास तथा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, और एमएसएमई फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप तथा मार्केट लिंकेज तक पहुँचने के लिए इन पहलों का लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई विदेशी कंपनियों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं और ऑफ़सेट नीति के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में भाग ले सकते हैं।

भारतीय एमएसएमई के लिए एफडीआई लाभ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कई लाभ प्रदान कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:

1. **पूँजी तक पहुँच:** एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) भारतीय एमएसएमई को विदेशी निवेशकों से पूँजी तक पहुँच प्रदान कर सकता है, जिसका उपयोग उनकी वृद्धि और विस्तार योजनाओं को निधि देने के लिए किया जा सकता है। यह एमएसएमई को घरेलू बाज़ार में ऋण तक सीमित पहुँच और उच्च ब्याज दरों की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है।
2. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** एफडीआई भारतीय एमएसएमई को विदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं तक पहुँच भी प्रदान कर सकता है, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। इससे भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिल सकती है।
3. **बाज़ार पहुँच:** एफडीआई भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नये बाज़ारों और ग्राहकों तक पहुँच प्रदान कर सकता है। यह भारतीय एमएसएमई को अपना ग्राहक आधार और राजस्व बढ़ाने में सहायता कर सकता है।
4. **प्रबंधन विशेषज्ञता:** एफडीआई, विदेशी प्रबंधन विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं में भी लाई जा सकती है, जो

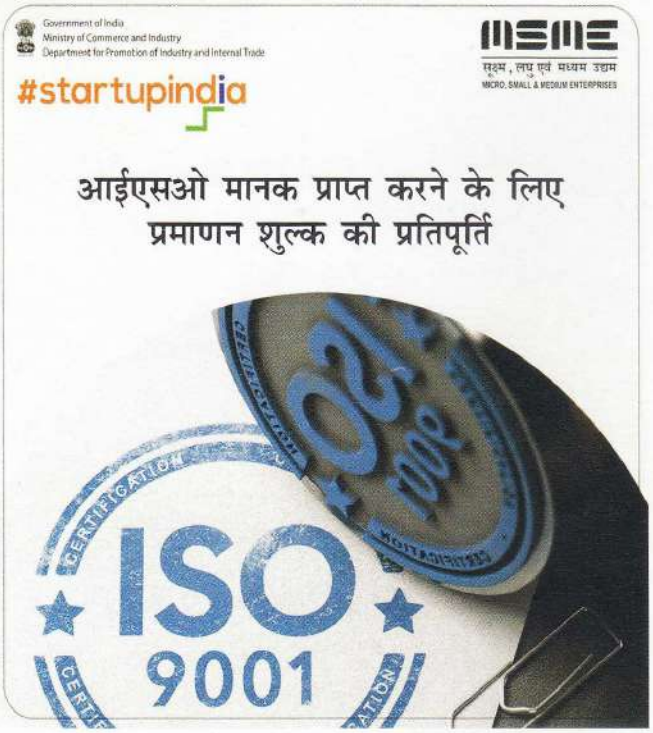

भारतीय एमएसएमई को अपने संचालन और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में मदद कर सकता है। इससे भारतीय एमएसएमई को अधिक कुशल और उत्पादक बनने में मदद मिल सकती है।

5. **ब्रॉंड निर्माण:** एफडीआई प्रसिद्ध विदेशी ब्रॉंडों के साथ जुड़कर भारतीय एमएसएमई को अपनी ब्रॉंड छवि और प्रतिष्ठा बनाने में भी मदद कर सकता है। इससे भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
6. **रोज़गार सृजन:** एफडीआई भारतीय एमएसएमई को उनकी वृद्धि और विस्तार योजनाओं में सहायता करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के नये अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। इससे देश की बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है।

एफडीआई भारतीय एमएसएमई को पूँजी तक पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाज़ार पहुँच, प्रबंधन विशेषज्ञता, ब्रॉंड निर्माण और रोज़गार सृजन सहित कई लाभ प्रदान कर रहा है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एफडीआई को विनियमित किया जाए और निगरानी की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका घरेलू उद्योग और अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वैकल्पिक वित्त अवसर

एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम चुनौतियों में से, पारंपरिक स्रोतों से वित्त तक पहुँच को सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना जाता है। हालांकि, भारतीय एमएसएमई के लिए कई वैकल्पिक वित्तीय अवसर उपलब्ध हैं। इन वैकल्पिक वित्तीय अवसरों को सरकारी एजेंसियों से और स्वयं एमएसएमई क्षेत्र से अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। इन वैकल्पिक वित्त में शामिल हैं:

1. **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी):** एनबीएफसी एमएसएमई को ऋण, लाइन ऑफ़ क्रेडिट और फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं। एनबीएफसी के पास बैंकों की तुलना में अधिक लचीले उधार मानदंड हैं और वे अधिक तेज़ी से ऋण दे सकते हैं।
2. **पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग:** पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म एमएसएमई कर्जदारों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे व्यक्तिगत कर्जदाताओं से जोड़ता है। पी2पी ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म पारंपरिक वित्तपोषण स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दरों और अधिक लचीली ऋण शर्तों की पेशकश कर सकते हैं।
3. **व्यापार ऋण:** व्यापार ऋण वित्त पोषण का एक रूप है जहां आपूर्तिकर्ता क्रेडिट पर एमएसएमई को वस्तुएं या सेवाएँ प्रदान करते हैं। यह एमएसएमई को अपने नकदी प्रवाह और कार्यशील पूँजी प्रबंधन के बेहतर प्रबंधन में सहायता कर सकता है।
4. **एंजेल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट:** एंजेल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट एमएसएमई को कंपनी में इक्विटी के बदले फंडिंग प्रदान करते हैं। वे एमएसएमई को कार्यनीतिक सलाह और परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को विकसित और विस्तारित करने में मदद मिल सके।
5. **क्राउडफंडिंग:** क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म एमएसएमई को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों से धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इससे एमएसएमई को जल्दी और कुशलता से पूँजी जुटाने में मदद मिल सकती है।
6. **सरकारी योजनाएं:** भारत सरकार ने एमएसएमई को उधार देने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं।

अंत में, भारतीय एमएसएमई के लिए कई वैकल्पिक वित्त अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें एनबीएफसी, पी2पी लेंडिंग, ट्रेड क्रेडिट, एंजेल निवेशक तथा वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउडफंडिंग और सरकारी योजनाएं शामिल हैं। एमएसएमई को वित्त तक पहुँच बनाने और अपनी वृद्धि तथा विस्तार योजनाओं के लिए वित पोषण के वास्ते इन विकल्पों का पता लगाना चाहिए। ■